कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद–देवरिया

पत्रांक /15 न0पा0परि0 (2015–16) दिनांक : 21-12-15

अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद गौरा बरहज सीमान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 13वॉं वित्त आयोग निधि अन्तर्गत निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0– 8/5542/92(1)13वॉं वित्त आयोग/2012–13/2013–14 दिनांक–31.03.2014 द्वारा प्राप्त धनराशिरू0 1721896.00 की अवशेष धनराशि रू0 1358843.00 एवं शासनादेश सं0– 8/7951/92(1)13वॉं वित्त आयोग (सामान्य बुनियादी अनुदान द्वितीय किस्त) वित्तीय वर्ष/2014–15 लखनऊ दिनांक–01.04.2015 द्वारा प्राप्त धनराशि रू0 3055641.00 एवं शासनादेश सं0– 8/2400/92(1)13वॉं वित्त आयोग /2014–15/2015–16 लखनऊ दिनांक–30.04.2015 द्वारा प्राप्त धनराशि रू0 1670816.00 एवं शासनादेश सं0– 8/2401/92(1)13वॉं वित्त आयोग /2014–15/2015–16 लखनऊ दिनांक–30.04.2015 द्वारा प्राप्त धनराशि रू0 2075049.00 कुल रू0 8160349.00 से निम्नलिखित निर्माण कार्यों को कराने एवं सामग्री क्रय करने हेतु तथा अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को कराने हेतु दिनांक– **08.01.2016** को अपराहन 3 बजे तक मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के एल0वी0सी0 पटल पर रखी निविदा पेटिका में डाली जायेगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराहन 4 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, देवरिया में सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। निर्माण कार्य/सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यालय से निधारित शुल्क जमा कर दिनांक– **05.01.2016** को सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0/के0वी0पी0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पद नाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमनत धनराशि की छाया–प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र व्यापारकर विभाग में पंजीकृत फर्म/ अधिकृत विक्रेता को ही विक्रय की जायेगी।

अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट **www.deoria.nic.in** पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

13वॉं वित्त आयोग :–

क्रम सं0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	जमानत धराशि	निविदा मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
	1. वर्षा जल निकासी				
1	शुलभ शौचालय से फौजदार जायसवाल के दुकान तक नाला निर्माण कार्य, मेन रोड बरहज–देवरिया, पूरब पटरी,	445500.00	44550.00	450.00	20.03.2016
2	अशोक मद्धेशिया के मकान से डा0 दर्शाना श्रीवास्तव के मकान तक नाली निर्माण कार्य, वार्ड सं0– 09	411800.00	41180.00	400.00	20.03.2016
3	गौरीशंकर कुशवाहा के मकान से मैनेजर चौहान के मकान एवं शंकर जी के मन्दिर होते हुए मेन रोड नाला तक नाली व स्लैब निर्माण कार्य, वार्ड सं0–09,	401500.00	40150.00	400.00	20.03.2016
4	पप्पू यादव के मकान से रामनरेश यादव के मकान होते हुए शिव मन्दिर के पास मेन रोड तक नाली व स्लैब निर्माण कार्य वार्ड सं0–10	1192500.00	119250.00	1200.00	20.03.2016

5	जिउत के मकान से रविदास घाट के बगल से नाला व स्लैब निर्माण कार्य, वार्ड सं0– 20,	411000.00	41100.00	400.00	20.03.2016
6	सुनील सिंह के मकान से मस्जिद तक नाली निर्माण कार्य, वार्ड सं0– 25	347500.00	34750.00	350.00	20.03.2016

2. जलापूर्ति व्यवस्था

	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	सामग्री आपूर्ति की अन्तिम तिथि
7	पाईप जी0आई0 32m.m.	100000.00	1000.00	30.01.2016
8	पाईप जी0आई0 20m.m.			
9	पाईप जी0आई0 15m.m.			
10	सॉकिट जी0आई0 32m.m.			
11	सॉकिट जी0आई0 20m.m.			
12	सॉकिट जी0आई0 15m.m.			
13	एल्बो जी0आई0 32m.m.			
14	एल्बो जी0आई0 20m.m.			
15	एल्बो जी0आई0 15m.m.			
16	पाईप पी0वी0सी0 140m.m.			
17	पाईप पी0वी0सी0 110m.m.			
18	ज्वाईन्टर ए0सी0 रबड़ के साथ 200m.m.			
19	ज्वाईन्टर ए0सी0 रबड़ के साथ 160m.m.			
20	ज्वाईन्टर पी0वी0सी0 140m.m.			
21	ज्वाईन्टर पी0वी0सी0 110m.m.			
22	कनेक्टींग रॉड इण्डिया मार्का,			
23	सिलेण्डर इण्डिया मार्का,			
24	पलन्जर,			
25	वॉल सेट,			
26	चैन बैरिंग			
27	बैरिंग रॉड,			
28	वॉल–वॉसर,			
29	नट–बोल्ट,			
30	चैन कुप्पी 5 टन			
31	टोटी			

3. ठोस अपशिष्ट पद्धार्थ प्रबन्धन

32	JOHN DEERE TRACTOR Mode no.- 5039D	100000.00	1000.00	30.01.2016
33	हाईड्रोलिक ट्राली (डबल चक्का)	50000.00	500.00	30.01.2016
34	फागिंग मशीन	25000.00	250.00	30.01.2016
35	**Mahindra Maxximo Plus** हाईड्रोलिक टैम्पू	50000.00	500.00	30.01.2016
36	पानी टैंक (5000 लीटर, स्टीलनेस बॉडी, टूल पम्प सहित चार चक्का पर)	30000.00	300.00	30.01.2016
37	सिनटेक्स डस्टबीन (स्टैण्ड, पेन्टिंग व स्थापन कार्य सहित)	50000.00	500.00	30.01.2016
38	बेल्चा टाटा	5000.00	50.00	30.01.2016
39	फावड़ा टाटा बेट सहित	5000.00	50.00	30.01.2016
40	प्लास्टिक तगाड़ी	5000.00	50.00	30.01.2016
41	भूरा चूना	10000.00	100.00	30.01.2016

	4. ई–गवर्नेन्स			
42	Lenovo C360-57322357v All In One Desktop (Intel PDC3220T 4rth G/2GB/500GB/Win8.1)	100000.00	1000.00	30.01.2016
43	APC Back-UPS RS 1100VA 230V			
44	Epson L220 Colour All-in-one Inkjet Printer			
45	Century Star Paper A4 & FS			

अवस्थापना विकास निधिः–

क्रम सं0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	जमानत धराशि	निविदा मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	रामाशंकर वर्नवाल के मकान से भगवान दास, के0पी0 सिंह व मुरलीघर के मकान होते हुए मेन रोड के तरफ मोती लाल जायसवाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य,वार्ड सं0– 09	1544600.00	154460.00	1550.00	20.03.2016

<u>नियम व शर्ते–</u>

1. निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र एवं वैट पंजियन प्रमाण–पत्र तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया–प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्यो में निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 10% की दर से निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/नगद आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा सामग्री आपूर्ति में निविदा में निर्धारित धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/नगद आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/पी0डी0आर0/नगद जमा करना आवश्यक होगा।
3. निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह कें अन्दर ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
4. ठेकेदार/फर्म को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
5. ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्य/सामग्री आपूर्ति का कार्यादेश दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार/फर्म द्वारा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
6. ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/ न0पा0 द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
8. जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।

9. निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।
10. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
11. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
12. किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जायेगी।
13. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
14. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
15. 14वें वित्त आयोग/13वॉ वित्त आयोग के धनराशि के भुगतान की अवधि 31.03.2016 तक ही है।
16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निर्माण कार्यों में नविदा दर प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा तथा सामग्री आपूर्ति में दर प्रति अदद/मात्रा देना अनिवार्य होगा।
17. सामग्री आपूर्ति में फर्म/ठेकेदार का व्यपार कर (वैट) में पंजीकरण प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. सम्बन्धित निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
20. निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट लिखा अनिवार्य है।
21. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका ठेका/अनुबंध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरूद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।
22. यह कि टी–6, स्वघोषणा शपथ–पत्र रू0 100/–(एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(निलेश प्रसाद)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(1-5)
पत्रांक 919(5)/15 न0पा0परि0(2015–16) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' एवं ''दैनिक जागरण'' को इस आशय से प्रेषित है कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कर्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया